



2026:AHC:40686-DB

आरक्षित

ए.एफ.आर.

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

अवमानना आवेदन (आपराधिक) संख्या 3 वर्ष 2025

इन री

... आवेदक

बनाम

श्री हरि नारायण पांडे एडवोकेट

...प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : श्री सुधीर मेहरोत्रा, अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : श्री राकेश पाठक, अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 44**

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर,

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव,

(माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर द्वारा प्रदत्त)

1. यह आपराधिक अवमान की कार्यवाही है जो श्री अमित मिश्रा, तत्कालीन सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), बस्ती द्वारा अवमानकर्ता श्री हरि नारायण पांडे, अधिवक्ता के विरुद्ध न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (संक्षेप में, '1971 का अधिनियम') की धारा 15 के अंतर्गत दायर एक संदर्भ पर प्रारंभ की गई है, जिसमें उक्त अवमानकर्ता को विधिवत दंडित करने की मांग की गई है। उपरोक्त संदर्भ दिनांक 29.01.2025 को किया गया था।

2. संदर्भ पत्रों के आधार पर, रजिस्ट्री ने एक कार्यालय नोट तैयार किया, जिसे रजिस्ट्रार जनरल ने अपने नोट दिनांक 24.03.2025 के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2025 के द्वारा इन पत्रों

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को सत्र प्रभाग, बस्ती के माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये पत्र तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, बस्ती, माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उन्होंने दिनांक 28.03.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"इस मामले को आपराधिक अवमान के क्षेत्राधिकार वाले उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाए।"

3. इसके बाद यह प्रकरण माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश के आदेश के अनुरूप एक प्रस्ताव के साथ पुनः आया, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 11.04.2025 के द्वारा अनुमोदित कर दिया। अवमान का यह मामला 18.04.2025 को पंजीकृत किया गया और 23.04.2025 को खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन हुआ। खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया मामला बनते हुए, अवमानकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसका उत्तर 09.07.2025 को देना था। अंतिम तिथि पर अवमानकर्ता श्री हरि नारायण पांडे ने एक शपथपत्र दाखिल किया, जिसे अभिलेख में ले लिया गया। अवमानकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए अवमान मामले को 30.07.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 09.07.2025 को अवमानकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री राकेश पाठक ने किया।

4. जब यह मामला 30.07.2025 को फिर से खंडपीठ के समक्ष आया, तो अवमानकर्ता स्वयं उपस्थित था। न्यायालय में उसकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा उपस्थित हुए, जिनकी सहायता अधिवक्ता श्री राकेश पाठक ने की। न्यायालय की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर मेहरोत्रा उपस्थित हुए।

5. यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि कार्यवाही के आरंभिक चरण में, अर्थात् 30.07.2025 को, पहले दिन, अवमानकर्ता ने उपस्थित होकर बिना शर्त क्षमा मांगी, जिसका उल्लेख उन्होंने 08.08.2025 के अपने शपथपत्र में किया था। न्यायालय ने उस क्षमा को ध्यान में रखते हुए, अवमानकर्ता को निर्देश दिया कि वह उस न्यायिक अधिकारी के समक्ष क्षमा प्रस्तुत करे, जिसकी उपस्थिति में अवमान की घटना घटी थी और जिसके कारण वर्तमान कार्यवाही शुरू हुई। खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश में यह भी दर्ज किया गया था कि संबंधित समय पर न्यायिक अधिकारी बस्ती से नियमित स्थानान्तरण के बाद रायबरेली में तैनात थे। तदनुसार, अवमानकर्ता को विद्वान

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिला न्यायाधीश, रायबरेली के माध्यम से न्यायिक अधिकारी के वर्तमान तैनाती स्थान पर बिना शर्त क्षमा प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। श्री ओझा ने 30.07.2025 को माननीय न्यायाधीशों को आश्वासन दिया कि दो सप्ताह के भीतर आवश्यक अनुपालन किया जाएगा। श्री मेहरोत्रा को संबंधित न्यायिक अधिकारी से एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया। इस मामले को 15.09.2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

6. 15.09.2025 को न्यायालय और अवमानकर्ता दोनों खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए और अवमानकर्ता स्वयं फिर से उपस्थित हुए। श्री सुधीर मेहरोत्रा ने न्यायिक अधिकारी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख में ले लिया गया। न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पूर्ण नहीं पाया। तदनुसार, श्री मेहरोत्रा को पूरी रिपोर्ट अभिलेख में रखने का अवसर देने के लिए इस मामले को 22.09.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अवमानकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं दी गई और उन्हें पुनः उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। 22 सितंबर, 2025 को यह अवमान संदर्भ न्यायालय के समक्ष पुनः आया, जब विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परिशीलन किया गया। अवमानकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो शपथपत्रों, अर्थात् 08.07.2025 के शपथपत्र और 14.09.2025 के बाद के शपथपत्र का भी परिशीलन किया गया। पक्षकारों ने इस बात पर सहमति जताई कि अवमान आवेदन पर सुनवाई और निर्णय मौजूदा दलीलों और दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। इस प्रकार, अवमान करने वाले व्यक्ति ने औपचारिक आरोप तय किए जाने के अपने अधिकार को त्याग दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उन सभी आरोपों से अवगत था जो इस अवमान कार्यवाही का विषय थे। तदनुसार, पक्षकारों की सहमति से इस मामले की सुनवाई की गई और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया।

7. हमने उच्च न्यायालय के विद्वान विशेष अधिवक्ता श्री सुधीर मेहरोत्रा और अवमाननाकर्ता प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधा कांत ओझा, जिनकी सहायता अधिवक्ता श्री राकेश पाठक कर रहे थे, की दलीलें सुनीं।

8. यदि हम श्री अमित मिश्रा, तत्कालीन सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), बस्ती द्वारा दिनांक 29.01.2025 को दिए गए संदर्भ पर ध्यान करें, तो हमारे मन में यह स्पष्ट है कि अवमानकर्ता द्वारा 22.01.2025 को मूल वाद संख्या 679 वर्ष 2024 में एक पक्ष के लिए अधिवक्ता के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गणवेश धारण करके उपस्थित होते समय न्यायालय में बोले गए शब्द, निश्चित रूप से अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के अर्थ में न्यायालय की अवमान के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द निश्चित रूप से अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी)(आई) के अर्थ में न्यायालय के अधिकार को कलंकित और कम करते हैं। हम मूल वाद संख्या 679 वर्ष 2024 में अस्थायी व्यादेश आवेदन की सुनवाई के दौरान अवमानकर्ता द्वारा प्रयुक्त सटीक शब्दों को यहां उद्धृत नहीं करना चाहते हैं, जहां वह वादी के लिए उपस्थित हुए थे।

9. संक्षेप में कहें तो, वे शब्द न्यायालय की कार्यवाही से पूरी तरह असंबंधित थे और न्यायालय को धमकाकर ऐसा आदेश पारित करवाने का एक सुनियोजित प्रयास था जो विद्वान न्यायाधीश की अंतरात्मा की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध था। इस प्रकार, यह अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी)(ii) के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में हस्तक्षेप था। अवमानकर्ता द्वारा प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों को हम इसलिए नहीं उद्धृत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने आदेश का हिस्सा बनाकर हम न्यायालय और समग्र रूप से न्यायपालिका के प्रति अनादर को प्रतिध्वनित करेंगे, एक ऐसा मामला जिसे आजकल आम जनता लगभग प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करती है और ऐसे निराधार आरोपों की सच्चाई को सरलता से स्वीकार कर लेती है। हमें यहाँ यह कहना आवश्यक है कि समकालीन समय में न्यायालयों और न्यायाधीशों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अटपटी अभिव्यक्ति का प्रयोग जनता का पसंदीदा शगल बन गया है, जो कानून में अप्रशिक्षित होने के कारण, पिछली पीढ़ी की तुलना में कहीं अधिक, अपने इस व्यवहार से एक अराजक समाज को जन्म देने की ओर अग्रसर है। इन आम धारणाओं और गैर-जिम्मेदार सार्वजनिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, हमने विद्वान सिविल जज के न्यायालय के समक्ष अवमान करने वाले व्यक्ति द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्दों को उद्धृत करने से परहेज किया है।

10. अब, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि क्या अवमान करने वाला व्यक्ति वास्तव में श्री अमित मिश्रा, तत्कालीन सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), बस्ती के न्यायालय में बोले गए अपमानजनक शब्दों के लिए दोषी ठहराया जाने योग्य है, हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि अवमान करने वाले व्यक्ति ने 08.07.2025 के अपने शपथपत्र में शीघ्र और बिना शर्त क्षमा मांगी थी, जिसमें उसने शपथपूर्वक कहा है:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“4. शपथकर्ता सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), बस्ती के न्यायालय में 22.01.2025 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में इस अवमान आवेदन में बिना शर्त क्षमा मांग रहा है। वह उक्त घटना के लिए दिल से खेद व्यक्त करता है जिसमें अनजाने में कुछ अनादर हुआ है।

5. शपथकर्ता का संबंधित न्यायालय का अपमान करने का कोई आशय या उद्देश्य नहीं है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले, अपने वकालत के जीवन में उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। शपथकर्ता द्वारा न्यायालय की अवमान की कोई घटना भी नहीं घटी है।

6. शपथकर्ता का आचरण न तो जानबूझकर किया गया था और न ही विद्वान न्यायालय के प्राधिकार का अनादर करने के आशय से किया गया था।

7. शपथकर्ता इस माननीय न्यायालय को आश्वस्त करता है कि वह भविष्य में अधिक सतर्क रहेगा और न्यायालय के प्रति अवमान या अनादरपूर्ण समझे जाने वाले किसी भी कार्य, अभिव्यक्ति या आचरण से परहेज करेगा। वह सभी कानूनी और न्यायिक मामलों में जिम्मेदार और सम्मानजनक व्यवहार करेगा।

8. शपथकर्ता अपने किसी भी ऐसे कार्य या चूक के लिए इस माननीय न्यायालय से बिना शर्त, ईमानदारीपूर्वक और हार्दिक क्षमा मांगता है, जिससे न्याय प्रशासन में अनादर, हस्तक्षेप या पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ हो। वह अपने कार्यों/शब्दों पर गहरा खेद व्यक्त करता है, जिनका उद्देश्य माननीय न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया के प्राधिकार का अनादर करना या उसे कमजोर करना नहीं था।

9. शपथकर्ता इस माननीय न्यायालय को पूर्णतया वचन देता है और आश्वासन देता है कि वह भविष्य में ऐसा कोई कार्य या आचरण नहीं करेगा जिसे न्यायपालिका या उसकी कार्यवाही के प्रति अवमान या अनादरपूर्ण माना जा सके। वह न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करता है और उसकी गरिमा और प्राधिकार को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।”

11. दिनांक 30.07.2025 के खंडपीठ के आदेशों के अनुपालन में, अवमानकर्ता 12.08.2025 को रायबरेली में श्री अमित मिश्रा के समक्ष उपस्थित हुआ और बिना शर्त क्षमा मांगी। विद्वान सिविल जज ने स्वयं के लिए क्षमा स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि विद्वान जिला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायाधीश, बस्ती और इस न्यायालय के बारे में अपमानजनक शब्द कहे गए थे, जिन्हें क्षमा करने का उन्हें कोई प्राधिकार नहीं था। फिर भी, जहां तक उनका संबंध था, क्षमा स्वीकार कर ली गई। विद्वान सिविल जज की रिपोर्ट दिनांक 30.08.2025 का प्रासंगिक भाग, जिसमें अवमानकर्ता द्वारा उनके समक्ष दी गई क्षमा का उल्लेख है, इस प्रकार है:

“उपरोक्त मामले में माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अधिवक्ता श्री हरि नारायण पांडे 12.08.2025 को मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने विद्वान जिला न्यायाधीश, रायबरेली के माध्यम से लिखित में बिना शर्त क्षमा मांगी। उनके निवेदन और व्यक्त किए गए गहरे पश्चाताप पर विचार करने के बाद, मैं सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे विरुद्ध की गई टिप्पणियों के संबंध में मैं उनकी क्षमा स्वीकार करता हूं। हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि उक्त अवसर पर, श्री हरि नारायण पांडे ने जानबूझकर न्यायालय में मुवक्किलों और अन्य अधिवक्ताओं की उपस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय और श्रीमान, जिला न्यायाधीश, बस्ती के विरुद्ध अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं कि ऐसी भाषा बार के सदस्य के लिए बिल्कुल अशोभनीय है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मैं स्वयं को इस कदाचार के पहलू से निपटने में सक्षम नहीं समझता, इसलिए मैं माननीय न्यायालय के विवेक पर छोड़ता हूं कि क्या इस संबंध में उनकी क्षमा स्वीकार करने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय के परिशीलन और आगे के आदेशों के लिए अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है।”

12. अवमानकर्ता हमारे समक्ष उपस्थित हुआ और हमने उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया। उसने अपने शब्दों का किसी भी प्रकार से औचित्य नहीं बताया और हमारे समक्ष कहा कि जिस दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उस दिन वह अपने निजी कारणों से अत्यंत व्यथित था। हमें न्यायालय में अवमान करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को देखने का अवसर मिला जब उसने हमें संबोधित किया। हम आश्चर्य हैं कि वह एक सुसंस्कृत अधिवक्ता है, जो कानून की सूक्ष्मता और न्यायालय के शिष्टाचार से भलीभांति परिचित हैं। इसलिए, न्यायालय में उसके द्वारा बोले गए शब्द और जिसके कारण उस पर अवमान की कार्यवाही शुरू हुई, किसी बाहरी कारण का परिणाम प्रतीत होते हैं, जिसने न्यायालय में उसके आचरण को प्रभावित किया, जबकि सामान्यतः वह इस

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रकार का नहीं होता। उसने वकालत में लंबा समय बिताया है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि उसने अतीत में कभी अवमानपूर्ण आचरण किया है। उसने शीघ्र ही बिना शर्त क्षमा मांग ली, जिसे विद्वान सिविल जज ने स्वीकार कर लिया। विद्वान सिविल जज ने यह भी टिप्पणी की है कि उन्हें क्षमा याचना पश्चाताप की अभिव्यक्ति लगी, जिसके कारण उन्होंने इसे स्वीकार किया। हम आश्वस्त हैं कि यह वास्तविक पश्चाताप की अभिव्यक्ति थी, न कि अवमान के परिणामों से बचने की मात्र एक युक्ति।

13. कार्यवाही के एक चरण में, जब हम इस आवेदन की सुनवाई के दौरान क्षमा स्वीकार करने पर विचार कर रहे थे, तब उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित श्री मेहरोत्रा ने हमें आगाह किया कि न्यायालय की अवमान करना आम बात हो गई है। उनकी इस आगाह ने हमें अपना निर्णय सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया और हमने श्री मेहरोत्रा द्वारा इस मामले में कही गई हर बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हमें यह अवश्य कहना चाहिए कि श्री मेहरोत्रा के शब्द निःसंदेह अनुचित नहीं थे और उनमें बहुत बुद्धिमत्ता थी। यद्यपि हम न्यायिक संज्ञान नहीं लेते क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, फिर भी हम इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया पर आपराधिक अवमान के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो सीमा पार कर जाते हैं। उच्च न्यायालयों पर मीडिया के माध्यम से ऐसे अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार से निष्पक्ष टिप्पणी या किसी निर्णय की सूचित आलोचना के रूप में बचाव के दायरे में नहीं रखा जा सकता। यह वर्तमान अवमान संदर्भ का विषय नहीं है, लेकिन हम जनता को भविष्य में सतर्क रहने की याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से अपमानजनक शब्द प्रसारित होते हैं जिनका संज्ञान हमारी अवमान क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने पर अवमानकर्ता को कानून के दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसे न्यायालय लागू करने में संकोच नहीं करेगा।

14. जहां तक वर्तमान अवमान मामले का संबंध है, हम अवमानकर्ता की क्षमा स्वीकार करते हैं और उसे जारी किया गया नोटिस उन्मोचन करते हैं।

15. यह अवमानना प्रकरण **अभिलेखागार में प्रेषित** किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

24 फ़रवरी, 2026

अनूप

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।